अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेकर ओडिशा के मयूरभंज जिला के रायरंगपुर सबडिवीज़न में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र करवाने की कृपा करें।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : सर, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for improving facilities at Ajanta- Ellora caves and Devagiri fort at Aurangabad

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र):* सर, मैं मराठी में बोलना चाहता हूँ । कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

पिछले सप्ताह इस सदन में पर्यटन मंत्रालय पर चर्चा हुई थी। उसमें सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकास पर अपने विचार रखे। देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, विश्व प्रसिद्ध अजंता-एलोरा गुफाएँ औरंगाबाद संभाजीनगर शहर के करीब है। अजंता गुफाएँ लगभग ढाई हज़ार साल पुरानी और एलोरा गुफाएँ लगभग दो हज़ार साल पुरानी है। महोदय, अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म के विविध रूप, सभागृह, प्रार्थना गृह, संस्कृति, निवास व्यवस्था आदि का चित्रण दीवारों पर और छतों पर चित्रों में दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन के अलग-अलग प्रसंग और बौद्ध देवताओं के अनेक चित्र यहाँ मिलते हैं।

महोदय, 1983 में यूनेस्को ने वैश्विक सर्वेक्षण किया। उसमें हमारे देश के सिर्फ चार पर्यटन स्थलों को चुना गया था । इन विश्व धरोहर स्थलों मे अजंता, एलोरा गुफाएँ और ताजमहल तथा आगरा का किला का समावेश किया गया है । एलोरा में 34 गुफाएँ हैं। उनमें से 1 से 10 गुफाओं में बौद्ध धर्म के बारे में, 13 से 20 गुफाओं में हिंदू धर्म के बारे में तथा 30 से 34 क्रम की गुफाओं मे जैन धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। एलोरा गुफाओं में सोलहवें क्रम की जो कैलाश गुफा है, वो एक

---

* Hindi translation of the Original speech delivered in Marathi.

ही पत्थर में ऊपर से नीचे तक खुदाई करते-करते बनाई गई हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए हर साल करीब 24 लाख पर्यटक आते है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि इन गुफाओं के परिसर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की जरूरत है। इससे और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

इन सुविधाओं में साउंड और लाइट शो की व्यवस्था की जाए, रोपवे का निर्माण किया जाए। इसी तरह हेलीपैड का काम भी होना चाहिए। इसके अलावा इसके promotion के लिए किसी कला महोत्सव का आयोजन या किसी टीवी, यूट्यूब पर इसका विज्ञापन दिया जाना भी बेहतर रहेगा। इसके साथ–साथ, देश और विदेश के बौद्ध स्थानों से औरंगाबाद-संभाजीनगर शहर की एयर कनेक्टेविटी बढ़ायी जाए तो और अच्छा होगा। ऐसा करने के बाद पर्यटक सीधे संभाजीनगर शहर आ सकेंगे।

महोदय, आखिर में, मैं आप के माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि पर्यटन स्थलों का विकास, संवर्धन, संरक्षण और अनुसंधान करने के लिए देश में एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की जाए तो सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी उससे मिलेगी। इसके लिए मैं आप के माध्यम से विनती करता हूँ और मैं, आपसे और सभागृह के अन्य सदस्यों से यह विनती करता हूँ कि आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार आकर एलोरा और अजंता गुफाएँ अवश्य देखिए। इतनी विनती करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।"

सर, मैं आपसे और सभागृह के सदस्यों से विनती करता हूँ कि आप लाइफ में कम से कम एक बार जाकर एलोरा एवं अजंता देख लीजिएगा। इतनी विनती करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सभापति : आपको बहुत- बहुत शुभकामनाएँ।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Dilution of constitutional provisions for reservations for SC/ST candidates

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Hon. Chairman, Sir, my subject is 'Concern over dilution of constitutional provisions for reservations for SC/ST candidates.' This is the direct violation of the provisions of Articles 15(4) and 16(4) of the Constitution of India. On 4th August, 2020, the UPSC released the list of selected candidates for the Civil Services Examination, 2019. A total of 829 applicants have been selected. Among the selected candidates, 129 were SC candidates and 67 were ST candidates. As per the statement of the UPSC, another 66 candidates have been put on the provisional list, while the result of 11 candidates has been withheld. On 4th January, 2021, instead of 66 candidates, a reserved list of 89 candidates was released. With the release of this list, the result of total 918 candidates out of 927 vacancies has been declared by the UPSC so far. As per the percentage of reservation prescribed by the Government of India and the Central Services for SC and ST candidates, there must be selection of 139 from SC candidates and 69 from ST candidates. But, unfortunately, only 130 candidates from SCs and 67 from STs have been selected. Further, on 5th February, 2021, the Government of India issued a notification for lateral recruitment of Joint Secretary level and Director level posts on contract basis without any reservation for SCs and STs. These ten vacancies advertised for direct entry are curtailed from SC and ST quota. Isn't it another ploy to sideline and reduce the reservations for deprived sections? The Government of India is strategically hammering on affirmative provisions of the Constitution like the reservations for deprived communities. It is my humble request, through you, to ensure the fulfilment of constitutional provisions of reservations for SCs and STs.

SHRI RAJEEV SATAV (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.